क्रम संख्या–067 (ख)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ए0–30/02

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 16 जून, 2002 ई0

ज्येष्ठ 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 218/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002

देहरादून, 19 जून, 2002

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2002 में दिनांक 16 जून, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 08, सन् 2002 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज संशोधन अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2002)

उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 एवं क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 के उत्तरांचल राज्य की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय-1

1- संक्षित नाम और प्रारम्भः-

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 2002 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल लागू होगा।

2- **उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल का पढ़ा जानाः** उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम सं.26 वर्ष 1947) में भी जहां-जहां शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है वहां "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा। 4.

अध्याय-2

3. **उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 11 (च) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगी**

धारा 11 (च) 'पंचायत क्षेत्र' की घोषणाः-

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में यथा साध्य 300 तथा मैदानी क्षेत्रों में यथासाध्य 1000 हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, 'पंचायत क्षेत्र' घोषित कर सकती है। 5.

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या यथासाध्य 1000 तथा मैदानी क्षेत्रों में यथासाध्य 5000 से अधिक नहीं होगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को 'पंचायत क्षेत्र' की घोषणा के प्रयोजनों के लिये विभाजित नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि व्यवहारिक दृष्टि से उक्त प्रतिबन्धों का पालन किया जाना संभव न हो, तो अपरिहार्य एवं विशेष्ट परिस्थितियों में, राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रतिबन्ध शिथिल कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा, किसी भी समयः-

(क) किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकालकर, परिष्कार कर सकती है;

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है; या

(ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।

4. **मूल अधिनियम की धारा 12(1) (ग) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगी:**

धारा 12(1)(ग): किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जिसकी जनसंख्या:-

(1) 500 तक, 5 सदस्य होंगे।
(2) 501 से 1000 तक, 7 सदस्य होंगे।
(3) 1001 से 2000 तक, 9 सदस्य होंगे।
(4) 2001 से 3000 तक, 11 सदस्य होंगे।
(5) 3001 से 5000 तक, 13 सदस्य होंगे।
(6) 5001 से अधिक, 15 सदस्य होंगे।

अध्याय-3

5. **उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 की धारा 6(1)(ख) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगी:**

धारा 6(1)(ख): निर्वाचित सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिये, पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा;

(1) पर्वतीय क्षेत्र में 25000 तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 25000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे;

(2) मैदानी क्षेत्रों में 50000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 50000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य संबंधित विकासखण्ड में समान होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6. **उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम,** (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), **2001 की धारा 18(1)(ख) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगीः**

धारा 18(1)(ख): निर्वाचित सदस्य जो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिये पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगाः-

(1) पर्वतीय क्षेत्र के 24,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम 2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगें तथा 24,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेगें।

(2) मैदानी क्षेत्र के 50,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होगें तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेगें।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक क्षेत्र पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 पाण्डेय)

सचिव।